तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30-6-22	**निर्णय**

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया की इस प्रार्थना मे प्रार्थी अजयकुमार सैनी द्वारा अपनी पैतृक कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे पिता का नाम गलत दर्ज होने से पिता का नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है प्रार्थी द्वारा पूर्व मे न्यायालय के आदेश से अन्य खाता स. नया 191 पुराना 192 मे वर्णित भूमि मे पिता का नाम शुद्ध कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी खाता स. मे नाम शुद्ध कराने बाबत सहवन से छूट गया था और निवेदन किया कि वर्णित खाता स. मे भी पिता का नाम शुद्ध किया जावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रार्थी के अधिवक्ता के कथन पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11-2-2017 का अवलोकन किया गया न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रार्थी के पिता का नाम खाता स. 191 व खाता स. 197 मे वाके ग्राम लाखेरी मे शुद्ध किया जाना पाया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि से ही सम्बन्धित होने से न्यायहित मे आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिये जाते है कि खाता स. नया 205 पुराना 198 के ख.स. 1830, 2708, 2709, 2711, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, कुल खसरा कित्ता-9 योग रकबा 1.34 हैक्टयर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम कमोड पुत्र गोपाल को विलोपित किया जाकर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
उसके स्थान पर कजोड उर्फ भीमराज पुत्र गोपाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली कैसशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30-6-2022 को लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा (बूंदी)	